

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 33/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 09.09.2021

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 9/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 11.08.2017, का.आ.2600 (अ) दिनांक 11.08.2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 7 के स्तंभ सं. 5 में मौजूदा शब्दों को "प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-8/2017-CI]

(भारती शर्मा)

संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित**

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
2. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
3. सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद को उनके पत्र फा. सं. DRI/AZU/GI-02/Enq-48/(Int-24)/2016 दिनांक 03.08.2021 के संदर्भ में.